# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

## समक्ष : डा0मधु खरे

## सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 169–तीन/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 09–01–2015 – पारित व्दारा अपर कलेक्टर, शिवपुरी – प्रकरण कमांक 14/1010–11 अपील

प्रेमनारायण पुत्र छीतरिया लाल शर्मा
विवेकानंद कालोनी, शिवपुरी जिला शिवपुरी ---आवेदक

विरूद्ध

1– हुकमा पुत्र स्व. बंशीलाल
2– बाबरिया पुत्र स्व. बंशीलाल
3– सुश्री गिन्नीवाई पुत्री स्व. बंशीलाल
4– सुश्री रामकली पुत्री स्व. बंशीलाल
5– लालाराम पुत्र स्व.बारेलाल जाटव
सभी निवासी बड़ापुरा पुरानी शिवपुरी
6– उत्तमसिंह पुत्र बादाम सिंह रावत
निवासी सिंह निवास तहसील शिवपुरी
7– अधीक्षक भू प्रबंधन भू अभिलेख शिवपुरी
8– अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी -- अनावेदकगण

(श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक – आवेदक)
(श्री जे.एस.गौड़ अभिभाषक – अनावेदक 1 से 5)
(पैनल अभिभाषक – आवेदक क–7.8)
(अनावेदक–6 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 02 दिसम्बर 2015)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 14/1010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 9.1.2015 के विरूद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर बताया कि ग्राम सिंहनिवास स्थित भूमि सर्वे नंबर 1497/1 रकबा 1.212 हैक्टर में से हिस्सा 2/3 रकबा 0.808है.

हि. 43/87 रकबा 0.390 हैक्टर जर्य रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3-10-87 से क्रय की गई। इसी प्रकार ग्राम सिंहनिवास स्थित भूमि सर्वे नंबर 1501/1 रकबा 0.167 हैक्टर में से हिस्सा 2/3 रकबा 0.105 हैक्टर यानि 10 विसवा विक्रय पत्र दिनांक 3-10-87 से क्रय की गई। इस प्रकार कुल भूमि 2 वीघा 7 विसा 6 विश्वॉसी क्रय की गई बंदोवस्त की कार्यवाही अंतिम चरण में होने के कारण आवेदन देने के वाद नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पाया, इसलिये क्रय की गई भूमि उसके नाम की जाय। अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी ने प्र.क. 02/2010-11 अ-5 पंजीबद्ध कर सुनवाई उपरांत आदेश दि. 25-3-2011 पारित करके आवेदक का क्रय की गई भूमि पर नामान्तरण करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 से 5 ने कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर न्यायालय से प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय शिवपुरी में अंतरिम होने पर सुनवाई प्रारंभ की गई। पेशी 09.01.2015 को प्रकरण गिरदावरी में पेश हुआ तथा उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित रहे एंव अंतिम अवसर तर्क पेश करने हेतु प्रदान करते हुये एंव आगामी पेशी पर तर्क प्रस्तुत न करने की दशा में गुणदोष पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये हैं, जिनके अवलोकन के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया है कि अपर कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष लम्बित अपील प्रकरण क्रमांक 14/10-11 में न्याय मिलने की संभावना न रहने से उन्होंने इस न्यायालय में प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तांतरण हेतु आवेदन दिया है तथा राजस्व मण्डल व्दारा प्रकरण क्रमांक 169-तीन/2015 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15-7-15 के विरूद्ध उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में रिट पिटीशन क्रमांक 4813/2015 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 29.7.2015 से उनके व्दारा

प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करने के आदेश हुये हैं इसलिये आवेदन का निराकरण किया जावे।

निगरानी मेमो के तथ्यों में मांग रखी गई है कि अपर कलेक्टर शिवपुरी ने आवेदक व्दारा प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया आदेश एक नियम दस के आवेदनों का निराकरण किये बिना प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत करने में भूल की गई है। तदुपरांत राजस्व मण्डल के समक्ष सुनवाई के दौरान में आवेदकगण ने आवेदन दिनांक 15-7-15 के अंतिम पद में इस प्रकार मॉग रखी है।

**" अतः विनय है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदक व्दारा प्रस्तुत पुनरीक्षण का गुणदोषों पर निराकरण किये जाने की कृपा की जावे अथवा प्रकरण को अपर कलेक्टर शिवपुरी से किसी अन्य जिले के सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को प्रकरण स्थानांतरित किये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा की जावे। "**

आवेदक व्दारा आवेदनों पर विचार किया गया। आवेदक व्दारा प्रकरण श्री जैड0यू0शेख, अपर कलेक्टर शिवपुरी से न्याय न मिलने का अॅदेश जाहिर किसी अन्य जिले के सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में हस्तांतरण की मांग की है जिस पर विचार किया गया। इस निगरानी के प्रचलित रहने के दौरान हाल ही में श्री जैड0यू0शेख का अपर कलेक्टर शिवपुरी के पद से अन्यत्र स्थानान्तर हो चुका है ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इस स्थिति में उभय पक्ष के बीच प्रचलित इस प्रकरण के अन्यत्र न्यायालय में हस्तांतरित किये जाने का औचित्य नहीं है। आवेदक श्री शेख के उपरांत पदस्थ होने वाले अपर कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी इसी-स्तर पर निरस्त करते हुये अपर कलेक्टर, शिवपुरी का प्रकरण क्रमांक 14/1010-11 अपील वापिस किया जाता है।

(डॉ0मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर